न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 238/2023

नरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री सन्तोष गोदारा अधिवक्ता (प्रार्थी)
2. राजपैराकार

दावा अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक :– 1-4-2025

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम राजस्व तहसील संगरिया के चक नं. 1 एच.आर.पी. खाता सं. 120/96 जं.सं. 2073–76 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.04.1979 को जरिये रजि. बैयनामा खरीदशुदा है। प्रार्थी के रजिस्टर्ड बैयनामा में लिखित करते समय सहवन से नरेन्द्र कुमार के स्थान सुरेन्द्र कुमार अंकित हो गया जो बाद में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार है। प्रार्थी के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक बचत खाता, राशनकार्ड, सहकारी बैक का बचत खाता, तदाता पहचान पत्र, घरेलू गैस कनैक्शन में प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार अंकित है। ग्राम पंचायत हरिपुरा सरंपच द्वारा प्रमाणित पत्र जिसमें प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार होना बताया गया है। प्रार्थी का नाम प्रार्थी की कृषि भूमि की जमाबन्दी में अलग–अलग नाम दर्ज होने से प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के साथ विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस कारण प्रार्थी को बैक ऋण लेने व अन्य दस्तावेज बनवाने व सरकारी कार्यो के करवाने में कठिनाई होती है। प्रार्थी का उक्त जमाबन्दी में नरेन्द्र कुमार के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार सहवन से अंकित हुआ है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार है जो कि दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा बैक ऋण लेने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को मालूम हुआ कि प्रार्थी का नाम जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजो में भिन्न–भिन्न नाम दर्ज है जो कि रजिस्टर्ड बैयनामा करवाते समय सहवन से अंकित हुआ है। प्रार्थी ने संबंधित हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि पहले अदालत से आदेश लेकर आओ तभी राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दुरूस्त किया जावेगा। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अलग–अलग नाम दर्ज होने में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी को बैक ऋण व अन्य सरकारी कार्यो में अनावश्यक परेशानी उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी कई बार अप्रार्थी के समक्ष पेश हुआ और अप्रार्थी से निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में अन्य दस्तावेजो के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर देवे तो अप्रार्थी ने कई दिन टाल

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

मटोल करने के बाद पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई ईन्कार कर दिया, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राज पैरोकार बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार संगरिया को रिपोर्ट हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया।

मैने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत जमाबंदी, सरपंच ग्राम पंचायत हरिपुरा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पंजाब नैशनल बैक का बचत खाता, राशनकार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, गैस कनैक्शन, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैक की पासबुक व दिनांक 20.04.1979 को निष्पादित बैयनामा का अवलोकन किया। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती का है। तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया का पत्रांक 330 दिनांक 06.02.2025 की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल रहा है। अप्रार्थी स्टेट द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पत्रांक 330 दिनांक 06.02.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश करते हुए अंकित किया कि उक्त भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट को जरिये बैयनामा दिनांक 20.04.1979 द्वारा प्राप्त हुई है तथा चक नं. 1 एच. आर.पी. में मु.नं. 1 का कि.नं. 8 ता 12 मौका पर नरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम काश्त कर रहा है एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम व नरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट है। सुरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम के नाम से अन्य कोई व्यक्ति ग्राम हरिपुरा में नही है।

प्रकरण में मुख्यत अनुतोष राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती का है। प्रार्थी के गलत नाम की यह त्रुटि एक लिपिकीय भूल है जो काबिले दुरूस्ती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया का पत्रांक 330 दिनांक 06.02.2025 की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय के मत में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित दिया जाता है कि चक नं. 1 एच.आर.पी. खाता सं. 120/96 जं.सं. 2073–76 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर नरेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट अंकित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पत्र जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 1-4-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Scanned with OKEN Scanner